30/1/26 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किये कि वादी भंवरसिंह को लकवा की बीमारी से लम्बे समय से पिडित होने समस्त वादीगण साथ ही पालनपुर में उनके साथ होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किये कि वादीगणों ने पालनपुर जाने के यात्रा के दस्तावेज पेश नहीं किये है। व यदि सभी वादीगण साथ गये होते तो न्यायालय को पूर्व में सूचना देते। वादी भंवरसिंह व रणजीतसिंह वृद्ध है तथा अपने अपने परिवार सहित अलग–अलग रहते है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी., जवाब व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तो पाया कि उक्त प्रकरण में वादी अधिवक्ता को साक्ष्यवादी पेश करने हेतु समुचित अवसर दिनांक 10.01.2025, 08.04.2025 व 09.05. 2025 को दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने व वादीगणों के अनुपस्थिति के संबंध में पूर्व में न्यायालय में रिपोर्ट पेश नहीं किया है। अतः वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. सारहीन व खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 10.02.2026 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

10/2/26 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 CPC पेश कर अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली विड्रो कराकर खारिज करने का निवेदन किया है।

अतः वादी अधिवक्ता की इच्छानुसार वादी को नया वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं. से कम हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)